भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
एवं विधायक, पाटन

- E-1, सिविल लाइन्स,
  रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
- 1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर
  पदुमनगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग
  छत्तीसगढ़ 490021

क्रमांक 609 दिनांक 21/09/24

सेवा में

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत
नई दिल्ली

विषय: विभिन्न अपराधों से जोड़ने के लिए मेरे खिलाफ लगातार रची जा रही साजिशों के संबंध में शिकायत और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की प्रार्थना।

माननीय महोदय,

मैंने 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और गरिमा के साथ किया तथा सर्वोच्च संवैधानिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन किया।

देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आपकी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों के कारण आपकी व्यस्तता से मैं अवगत हूं परन्तु छत्तीसगढ़ में जो संविधान हत्यात्मक परिस्थितियां लगातार बन रही हैं उसकी वजह से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखने के लिए बाध्य हुआ हूं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में घटित एक घटना इस पत्र का तात्कालिक कारण बना है। चूंकि आज भारत के परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय ही एक ऐसी संस्था बची है जिस पर आमजन का विश्वास है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला परिवहन में कथित अवैध वसूली के एक प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विगत 4 वर्षों से की जा रही है। राज्य में पिछले नवंबर में हुए चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद राज्य की एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा भी एक प्रकरण दर्ज किया गया। ईडी की ओर से गिरफ़्तार किए गए विचाराधीन बंदियों को हिरासत में लेकर एसीबी/ईओडब्ल्यू ने नए प्रकरण में जेल में निरूद्ध कर रखा है।

cont...

इन अभियुक्तों में से एक श्री सूर्यकांत तिवारी नाम के व्यापारी भी हैं. श्री सूर्यकांत तिवारी ने दिनांक 09.09.2024 को माननीय चतुर्थ ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के समक्ष एक आवेदन पेश किया है। इस आवेदन के अनुसार रविवार, 08.09.2024 को दोपहर 12.00 बजे एसीबी/ईओडब्ल्यू के निदेशक आईपीएस श्री अमरेश कुमार मिश्रा जेल पहुंचे और उन्होंने श्री सूर्यकांत तिवारी को बुलाकर उनसे मुलाक़ात की। इस मुलाक़ात के दौरान आईपीएस श्री मिश्रा ने श्री तिवारी से कहा कि वे कोयला परिवहन के कथित अपराध में मेरी (भूपेश बघेल) की संलिप्तता स्वीकार करें और मुझे लाभार्थी बताते हुए बयान दर्ज करवाएं। जैसा कि श्री तिवारी ने अपने आवेदन में लिखा है, इस दौरान आईपीएस अधिकारी श्री मिश्रा ने उनके साथ अभद्रता भी की और मेरा नाम न लिए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। श्री तिवारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें (श्री तिवारी को) अन्य प्रकरणों में भी आरोपी बना दिया जाएगा और उनके सभी परिजनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।

श्री सूर्यकांत तिवारी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उनके आवेदन के अनुसार इस मुलाक़ात के लिए न तो संबंधित न्यायालय से और न किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई। श्री तिवारी ने अपने आवेदन में कहा है कि जिस समय आईपीएस अधिकारी श्री मिश्रा ने उनसे दुर्व्यवहार किया और धमकी दी उस समय जेल का कोई अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं था।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया न केवल विधि के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि यह पूर्वाग्रहों से भरी एक सुनियोजित साज़िश है। इस साज़िश का उद्देश्य मेरा नाम किसी भी तरह एक अपराध से जोड़ना है। और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ऐसे अपराध कारित कर गंभीरतम षडयंत्र कर रहे हैं।

इस पत्र के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में कुछ और बातें लाना चाहता हूं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मेरा नाम किसी भी तरह से अपराधों से जोड़ने की कोशिशों का यह अकेला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी जांच एजेंसियों के माध्यम से मेरा नाम किसी न किसी अपराध से जोड़ने की साज़िशें और कोशिशें की जा चुकी हैं। प्रत्येक प्रकरण में अनेकों व्यक्तियों को डरा धमका कर ऐसा प्रयास लगातार किया जा रहा है।

1. कोयला परिवहन में कथित अवैध वसूली का प्रकरण राज्य में नवंबर, 2023 में हुए चुनाव के पहले दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में जो गिरफ़्तारियां हुईं उसके अतिरिक्त जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनको ईडी ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और यह दबाव बनाया कि वे इस अपराध में किसी भी तरह मेरी (भूपेश बघेल) की संलिप्तता का बयान दें। इन व्यक्तियों में कुछ तो प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यावसायी व उद्योगपति थे।
2. मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में 'महादेव ऐप' के नाम से संचालित अवैध ऑनलाइन सट्टा व्यवसाय के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरु हुई। मेरी सरकार ने महादेव ऐप से माध्यम से ऑनलाइन सट्टा कारोबार चलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ 72 प्रकरण दर्ज किए। सैकड़ों बैंक खाते सील किए गए और करोड़ों की राशि ज़ब्त की गई। मेरी ही सरकार ने महादेव ऐप के संचालकों के ख़िलाफ़ लुक-आउट नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि चूंकि ये अपराधी विदेश भाग गए हैं इसलिए केंद्र सरकार उन्हें गिरफ़्तार कर भारत लाने की कार्रवाई करे। परंतु केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई न करके इसे राजनीतिक रंग दिया।
3. इन्हीं प्रकरणों के आधार पर ईडी ने जुलाई, 2022 में पीएमएलए के तहत यह मामला अपने हाथ में लिया और जांच शुरु की। ईडी ने कुछ गिरफ़्तारियां कीं। इसके बाद सेक्शन 50 के बयानों के आधार पर कार्रवाइयां शुरु हुईं। प्रदेश में चुन चुन कर मेरे सभी क़रीबी लोगों पर इन कथित बयानों के आधार पर छापे मारे गए। मेरे राजनीतिक सलाहकार, मेरे दो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों और मेरे क़रीबी मित्र के घर ईडी की टीम ने 23.08.2023 को छापे मारे। ईडी ने जो चालान अदालत में पेश किया है उससे स्पष्ट है कि इनमें से किसी के ठिकानों पर अपराध से जुड़ा ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्हें अभियुक्त बनाया जा सके। पर ईडी का उद्देश्य तो चुनाव से पहले प्रदेश में यह संदेश देना था कि भूपेश बघेल के क़रीबी लोगों के घर ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के मामले में ईडी की कार्रवाई हुई है। वह उद्देश्य पूरा हो गया।
4. पुलिसकर्मी श्री सीबी वर्मा को ईडी ने 21.08.2023 को गिरफ़्तार किया था। जिसे गंभीर शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी गईं। इसी अभियुक्त के कथित बयान पर ये कार्रवाइयां हुईं। उसी व्यक्ति ने दिनांक 12.12.2023 को अदालत में हलफ़नामा पेश करके यह कहा कि ईडी ने दबावपूर्वक उससे बयान दिलवाया था और वह ईडी के इस

बयान का खंडन करता है। इस तरह ईडी ने जिस बयान के आधार पर छापे मारे थे, वह बयान ही वापस ले लिया गया।

5. राज्य में चुनाव से ठीक पांच दिन पहले महादेव ऐप के मामले में एक नाटकीय मोड़ आया और ईडी ने दिनांक 02.11.2023 को यह दावा किया कि उसने श्री असीम दास नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है और उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए ज़ब्त किए गए हैं। ईडी ने असीम दास के कथित बयान के आधार पर यह दावा किया कि यह पैसे किसी 'बघेल' को देने के लिए दिए गए थे। ईडी ने इस दावे के आधार पर प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, हालांकि इसी प्रेस रिलीज़ में लिखा गया था कि इसका कोई सबूत ईडी के पास नहीं है और यह जांच का विषय है।
6. दिनांक 25.11.2023 को अदालत में असीम दास ने एक हलफ़नामा दायर किया और कहा कि पूर्व में उसके नाम से प्रचारित बयान उसने नहीं दिया है और वह ज़ब्त किए गए पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चुनाव संपन्न हो गए और दिसंबर, 2023 को कांग्रेस की सरकार हट गई। उसी असीम दास ने 07.01.2024 को अपने बयान वापसी वाले हलफ़नामे को वापस ले लिया। इस घटना को भी अब दिनांक 08.09.2024 को रायपुर केंद्रीय जेल में श्री सूर्यकांत तिवारी के साथ हुए घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा सकता है।
7. इस व्यक्ति श्री असीम दास से रुपया जिस कार (CG12 AR 6300) से बरामद किया गया वह कार भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता एवं पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल के भाई के नाम पर दर्ज पाई गई। ईडी ने कभी इसकी जांच नहीं की कि यह कार श्री असीम दास के पास कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई? ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी का उद्देश्य मुझे बदनाम करना मात्र था।
8. चुनाव से दो दिनों पहले दिनांक 05.11.2023 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक पत्रवार्ता हुई। इस पत्रवार्ता में एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो श्री शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति का था। श्री शुभम सोनी ने दावा किया कि महादेव ऐप का असली मालिक वही है और अब तक जिन दो व्यक्तियों (श्री सौरभ चंद्राकर और श्री रवि उप्पल) का नाम महादेव ऐप के संचालकों की तरह हो रहा था वे दोनों दरअसल उसके मैनेजर हैं। इस वीडियो में श्री शुभम सोनी को यह कहते हुए दिखाया गया कि उसने मुझे 508 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। चुनाव के ठीक पहले इस वीडियो ने भाजपा को एक मुद्दा दिया।

9. ईडी ने जुलाई, 2022 को पीएमएलए के तहत मामला अपने हाथ में लिया था। साल भर से अधिक ही जांच और चालान प्रस्तुत होने के बाद भी श्री शुभम सोनी का नाम महादेव ऐप प्रकरण में सामने नहीं आया था। पर एकाएक रहस्यमय ढंग से एक नया नाम आया और उस अनजान से व्यक्ति के बयान के आधार पर संवैधानिक ढंग से निर्वाचित एक मुख्यमंत्री पर सैकड़ों करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप ईडी ने लगा दिया। हालांकि इस विषय में कोई जांच नहीं हुई थी और न ही ईडी के पास कोई सबूत थे।
10. कथित तौर पर दुबई में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक कैसे पहुंचा? उन्हें यह वीडियो किसने उपलब्ध करवाया? ऐसा प्रतीक होता है कि ईडी का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
11. बाद में अदालत में पेश एक दस्तावेजॉ के अनुसार श्री शुभम सोनी दुबई स्थित भारतीय दूतावास भी गया और उसने एक हलफ़नामा दायर कर वीडियो की बात को बयान के रूप में दर्ज करवाया। यह रहस्य अब तक नहीं सुलझा है कि अगर महादेव ऐप का कथित असली मालिक भारतीय दूतावास तक गया तो उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों उसका हलफ़नामा लेकर उसे जाने दिया गया?

इन घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि हाल ही में रायपुर सेंट्रल जेल में श्री सूर्यकांत तिवारी के साथ जो घटना घटी और पहले जो घटनाएं घटीं उन सबका उद्देश्य सिर्फ़ मुझे बदनाम करके राजनीतिक लाभ उठाने का था। मेरी बदनामी से किसे लाभ पहुंचने वाला था या किसे लाभ पहुंचने वाला है यह किसी से छिपा नहीं है। और जो षडयंत्र रचा जा रहा है, वह किसलिए रचा जा रहा है यह भी अब साफ़ दिखाई दे रहा है।

माननीय महोदय, जब विभिन्न अपराधों से मुझे जोड़ने की इन साज़िश का अंदाज़ा मुझे हुआ तो मैंने समय समय पर सार्वजनिक रुप से इस संबंध में बयान दिए और इन बेबुनियाद आरोपों का खंडन किया। लेकिन राज्य में गत वर्ष नवंबर में हुए चुनाव से पहले जिस तरह से मेरा व मेरे साथियों, सहयोगियों और समर्थकों का नाम धनशोधन के विभिन्न मामलों में उछाला गया, उससे स्पष्ट था कि ईडी जैसी एजेंसी किसी के इशारे पर काम कर रही है और चुनाव के समय राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुझे, मेरी सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के बाद भी यह षडयंत्र रुक नहीं रहे हैं और अब मुझे राज्य की एजेंसी एसीबी/ईओडब्ल्यू भी किसी भी तरह से धनशोधन के मामलों से जोड़ने के राजनीतिक षडयंत्र में भागीदार बन गई है।

मैं 1993 से अब तक छह बार विधायक के पद पर रह चुका हूं. मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूं और वर्ष 2018 में चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का फ़ैसला किया था. पांच वर्ष मैंने पद पर रहते हुए संविधान का पूरी तरह से पालन किया और मेरे संज्ञान में जो भी ग़ैरक़ानूनी और आपराधिक मामले सामने आए मैंने तत्काल कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती।

महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने किसी भी आपराधिक मामले की जांच में कोई बाधा नहीं डाली। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मैंने किसी भी तरह की जांच का विरोध भी नहीं किया। आज भी मैं हर तरह की जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रस्तुत हूं। यदि अपराध हुआ है तो एजेंसी सबूत जुटाए और दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलवाए।

लेकिन जो कुछ पिछले चार वर्षों में मेरे साथ घटा है, ईडी ने मुझ पर और मेरे क़रीबी लोगों पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की है, उसमें मुझे एक गंभीर राजनीतिक षडयंत्र की बू आती है। जो कुछ घटा और घट रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, मुझे झूठे और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का शिकार बनाना और इन निराधार और अवैध आरोपों के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को समाप्त करना है। इन गतिविधियों का उद्देश्य और इरादा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरे, मेरे परिवार, मेरे राजनीतिक करियर, मेरे समर्थकों, मेरे भविष्य और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने के लिए है। इन एजेंसियों द्वारा इन झूठे, अवैध और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का एक मात्र उद्देश्य भी यही नज़र आता है। किसी भी रूप में ये एजेंसियां ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती दिखती है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सके।

मैं बड़े सम्मान, इज्जत और चिंता के साथ आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि इस तरह राजनीतिक प्रतिशोध में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी को दबाव और धमकी के तहत जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

आपसे विनम्र प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के कामकाज के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आप हस्तक्षेप करें। इन एजेंसियों के राजनीतिक द्वेष के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, एक विस्तृत, निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच और अन्वेषण की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए अब सिर्फ न्यायापलिका पर ही विश्वास किया

जा सकता है। इसलिए, मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य की एजेंसियों की भूमिका और कामकाज की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की जाए। और इस जांच की निगरानी या तो कोई उच्च न्यायालय करे या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इसकी निगरानी के आदेश जारी करें।

महोदय, इससे संविधान पर जनता का विश्वास बना रहेगा और न्याय सुनिश्चित होगा। जांच यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे लोग जो दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ कार्य कर रहे हैं, उन्हें पहचाना जा सके। इसके साथ ही, मेरी, मेरे परिवार की, और मेरे समर्थकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

धन्यवाद

सादर,

(भूपेश बघेल)
पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़,
विधायक, पाटन निर्वाचन क्षेत्र,
जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़